

दिनांक 13-6-25 को पता हो।

राजस्व मन्त्रालय राजस्थान
अधिसूचना

आर०डी० मीणा, सदस्य

कमला अल्लारिया, सदस्य

वकील जायी व धारित्रण को

ब्याच-ब्याच आवाजे लागवाई गई/कोई उप.

चही। अतः पत्रावली असम हाजरी व पेटक


में खारिज की जाती है। पत्रावली ब्याप

जायीवाही दायित्व दफ्तार ही

आदेश कुल न्यायालय में

खनाया मया.

~~सदस्य~~


राजेश्वर प्रसाद राजमोहन

राजस्व मन्त्रालय राजस्थान

अधिसूचना

राजस्थान सरकार राजमन्त्रालय

अ-२६३

13/6/25